केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

Central Sanskrit University

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

(Established by An Act of Parliament)

जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)

Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)

पद्मश्री मण्डन मिश्र पुरुष छात्रावास एवं महिला छात्रावास

सामान्य निर्देश -

1. गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में यदि छात्र/छात्रा अनुत्तीर्ण या पेपर बैक रहता है तो ऐसे छात्र/छात्रा को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

2. विगत सत्रों में जो छात्र/छात्रा अनुशासन हीनता में लिप्त पाए गए हैं उन्हे छात्रावास नहीं दिया जाएगा।

3. प्रवेशित विद्यार्थीयों को छात्रावास के निर्धारित निर्देशों/नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. गूगल फॉर्म भरने से पहले छात्रावास के समस्त नियमों को आवश्यकरुप से पढे।

5. गूगल फॉर्म के अन्तिम सोपान पर दिए गए वाट्स-अप समूह पर जुडना आवश्यक है। जिस पर छात्रावास सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ दी जाएगी।

छात्रावास नियम -

1. परिसर और छात्रावास में संस्कृत वातावरण बनाना अनिवार्य है।

2. प्रतिदिन संस्कृत में वार्तालाप करना अनिवार्य है।

3. छात्रावास समिति के सदस्य के रूप में प्राप्त जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना है।

4. किसी भी प्रकार के विवाद में सम्मिलित नहीं होना।

5. बिना सूचना के लम्बे समय के लिए परिसर या छात्रावास छोड़कर नहीं जाना है। यदि परिसर के आस पास कहीं जाते हैं, तो पंजिका में समस्त जानकारी लिखकर जाएं।

6. यदि आप बिना सूचना के बाहर जाते हैं तो बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करना है।

7. रात्रि 10 बजे के बाद बाहर न जाना है और न ही अंदर आना है। (लड़कियाँ सात बजे के बाद प्रतिबंध रहेगा)

8. शिक्षकों और वरिष्ठ छात्रों के साथ अनुकरणीय व्यवहार के साथ बातचीत करना अनिवार्य है।

9. दूरवाणी का दुरुपयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो अभिभावक को सूचित कर दूरवाणी ले लिया जाएगा।

10. छात्रावास अधीक्षक की अनुमति से छुट्टियों या कार्यदिवसों पर घर या कहीं भी जा सकते है।

11. यदि आप घर से आ रहे हैं तो पहले से सूचित करना है।

12. छात्रावास में रहते हुए कक्षा में उपस्थिति कम होने पर छात्र को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

13. कार्य दिवस के दौरान अवकाश लेने के लिए छात्रावास अधीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा आवेदन पत्र पर अध्ययन शाखा के समन्वयक/अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति भी लेनी होगी।

14. संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना होगा।

15. प्रार्थना सभा में उपस्थिति अनिवार्य है।

16. छात्रावास प्रकोष्ठ में प्रयुक्त विद्युत उपकरणों (सूईज्- बल्ब इत्यादि) के रखरखाव और योजना की ज़िम्मेदारी छात्रों की है। छात्रावास में प्रयुक्त उपकरणों (पंखे, दरवाज़े और बल्ब इत्यादि) की स्थापना की ज़िम्मेदारी परिसर की है। यदि छात्रों द्वारा उपकरणों का दुरुपयोग किया जाता है, तो छात्र अनुशासनहीनता का दोषी होगा।

17. छात्रावास प्रतिनिधि छात्रावास की समस्याओं का प्रार्थना पत्र अधीक्षक को देना होगा।

18. छात्रावास में आयोज्यमान सङ्गोष्ठी में उपस्थिति अनिवार्य है।

19. अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अधीक्षक को सूचित करना है।

20. छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति छात्रावास कार्यक्रम में प्रवेश नहीं करेंगे।

21. निर्धारित समय पर भोजन कक्ष में भोजन करना होगा।

22. दिन हो या रात, अनावश्यक शोरगुल और अराजक व्यवहार नहीं करना है।

23. छात्र प्रताडना (रैगिंग) नहीं करनी है।

24. अपने कक्ष में परिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों की सूची बनाकर, उस पर हस्ताक्षर करके उसे जमा करना होगा। छात्रावास से बाहर निकलते समय उपकरण पुनः जमा करना होगा।

25. यदि किसी छात्र का छात्रावास उपकरण टूट जाता है या खो जाता है, तो उपकरण के वास्तविक मूल्य का दोगुना शुल्क छात्र को भुगतान करना होगा।

26. आप अपनी सामग्री के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे।

27. यदि प्रकोष्ठ में कोई न हो तो पंखे, रॉड, लैंप आदि निश्चित रूप से बंद होने चाहिए अन्यथा पहली बार सूचना दी जायेगी और दूसरी बार धन समर्पण के साथ अनुशासन लागू किया जाएगा।

28. छात्रावास के विषय में कोई भी जानकारी जो आप बाहर देना चाहते हैं (मीडिया, समाचार पत्र, अन्य संस्थान, बाहरी व्यक्ति आदि) अधीक्षक की अनुमति से दी जानी होगी।

29. परिसर में कार्यक्रम के दौरान कक्षा में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने पर सूचित करना होगा।

30. प्रकोष्ठ और छात्रावास को स्वच्छ रखना है।

31. छात्रावास में अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई भी त्यौहार परिपालित नहीं करना है।

32. अधीक्षक की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं करवाना है।

33. छात्रावास में रहने वाले छात्र बाहरी राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, जिससे छात्रावास या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे। यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

34. दूसरे, चौथे और छठे सत्रार्द्ध के परीक्षा के बाद छात्रावास में पुनः प्रवेश तक छात्रावास के बाहर रहना होगा।

35. परिस्थितियों को देखते हुए अधीक्षक निदेशक के परामर्श से नए नियम लागू करेंगे। सभी को नए नियमों का पालन करना होगा।

36. छात्रावास में शराब नहीं पीऊँगा, मांस नहीं खाऊँगा और न ही धूम्रपान करूँगा। यहाँ तक कि भड़काऊ भाषण भी नहीं दूंगा। मैं छात्रावास के नियमों का पालन करता हूँ और करूँगा। अगर मैं नियमों का उल्लंघन या उनका अस्वीकार करने पर मुझे छात्रावास से निकाले जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

YSRamesh 25/7/25

(प्रो. वाई. एस. रमेश)
निदेशक

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

Central Sanskrit University

(संसदः अधिनियमेन स्थापितः)

(Established by An Act of Parliament)

जयपुरपरिसरः, जयपुरम् (राजस्थानम्)

Jaipur Campus, Jaipur (Rajasthan)

पद्मश्रीः मण्डनमिश्रपुरुषच्छात्रावासः एवं महिलाच्छात्रावासः

सामान्यनिर्देशाः -

1. यदि कश्चन छात्रः गतवर्षस्य परीक्षायाम् अनुत्तीर्णः/ Back Paper वर्तते तस्मै छात्रावासः न प्रदास्यते।

2. विगतसत्रेषु ये छात्राः अनुशासनहीनतां दर्शितवन्तः तेभ्यः छात्रेभ्यः छात्रावासः न दास्यते।

3. प्रविष्टानां छात्राणां कृते छात्रावासस्य निर्धारितनिर्देशानां/नियमानाम् अनुसरणम् अनिवार्यं भविष्यति।

4. गूगल-प्रपत्रपूरणात्प्राक् छात्रावासस्य सर्वे नियमाः अनिवार्यतया पठनीयाः।

5. गूगल-प्रपत्रस्य अन्तिमे सोपाने प्रदत्ते व्हाट्सएप-समूहे भवन्तः अवश्यमेव सम्मिलिताः भवेयुः। सम्बद्धाः सर्वाः अपि सूचनाः अस्मिन् समूहे प्रदास्यन्ते।

छात्रावासनियमाः -

1. परिसरे छात्रावासे च संस्कृतमयवातावरणाय सहयोगः करणीयः।

2. संस्कृतेन वार्तालापः करणीयः।

3. छात्रावाससमितिसदस्यत्वेन प्राप्तदायित्वं निष्ठापूर्वकं सम्पादनीयम्।

4. कुत्रापि विवादे प्रवेशः न करणीयः।

5. विना सूचनया अधिकसमयपर्यन्तं छात्रावासतः, जयपुरतः वा बहिः न भवेत्। परिसरस्य पार्श्वे गच्छति चेत् पञ्जिकायां सर्वविवरणं विलिख्य गच्छेत्।

6. विना सूचनया गच्छति चेत् अनुमतिं विना प्रवेशः न करणीयः।

7. रात्रौ 10 वादनानन्तरं बहिः न गच्छेत् न आगच्छेच्च। (बालिकाः सप्तवादनान्तरम्)

8. गुरुभिः ज्येष्ठविद्यार्थिभिः सह च आदर्शव्यवहारेण वार्ता करणीया।

9. दूरवाण्याः दुरुपयोगः न करणीयः। करोति चेत् अभिभावकाय सूचनां प्रदाय दूरवाणी स्वीकरिष्यते।

10. छात्रावास-अधीक्षकात् अनुमतिं स्वीकृत्य अवकाशे कार्यदिवसे वा गृहं कुत्रापि वा गच्छेत्।

11. गृहतः आगच्छति चेत् आगमनात्प्राक् सूचना प्रदातव्या।

12. छात्रावासे स्थित्वा कक्षोपस्थित्यां न्यूनता आगच्छति चेत् छात्रावासतः बहिष्कृतो भविष्यति।

13. कार्यदिवसे अवकाशं स्वीकर्तुं स्वविद्याशाखायाः समन्वयकस्य/अध्यक्षस्य वा स्वप्रार्थनापत्रे हस्ताक्षरेण अनुमतिं स्वीकृत्य छात्रावास-अधीक्षकात् अनुमतिः स्वीकरणीया।

14. संस्कृतभाषया प्रार्थनापत्रं लेखनीयम्।

15. प्रार्थनासभायाम् उपस्थितिः अनिवार्या।

16. छात्रावासप्रकोष्ठे प्रयुक्तानां विद्युत्- उपकरणानां (सूईच- बल्व इत्यादीनां) संरक्षणस्य योजनस्य च दायित्वं छात्रस्यैव अस्ति। च्छात्रावासे प्रयुक्तानां काष्ठ- लौहादीनाम् उपकरणानां (फैन- द्वार- कपाटिका-इत्यादीनां) योजनस्य दायित्वं परिसरस्य अस्ति। छात्रैः यदि उपकरणानां दुरुपयोगः क्रियते तर्हि अनुशासनहीनतायाः दोषी छात्रः भविष्यति।

17. छात्रावासप्रतिनिधिः छात्रावाससमस्यायाः प्रार्थनापत्रम् अधीक्षकाय प्रयच्छेत्।

18. आयोज्यमानछात्रावासगोष्ठ्यामुपस्थितिरनिवार्या।

19. स्वस्वास्थ्यगतसमस्यायाः कृते अधीक्षकमहोदयाः सूचनीयाः।

20. अधीक्षकमहोदयस्य अनुमतिं विना छात्रावासस्य कार्यक्रमे बाह्यजनानां प्रवेशो न भवेत्।

21. निर्धारितसमये भोजनशालायाम् एव भोजनं करणीयम्।

22. रात्रौ दिवसे वा अनावश्यकरूपेण उच्छृङ्खलवृत्तिः कोलाहलः च न आचरणीयः।

23. छात्रप्रताडना (रैंगिंग) न करणीया।

24. स्वप्रकोष्ठे यत् किमपि परिसरप्रदत्त-उपकरणमस्ति तस्य सूचीं निर्माय हस्ताक्षरं कृत्वा समर्पणीयम्, पुनः छात्रावासत्यागसमये उपकरणानि समर्पणीयानि।

25. कोऽपि छात्रः यदि छात्रावासोपकरणानां खण्ड-विखण्डनं तथा हानिं च करोति तर्हि उपकरणस्य वास्तविकमूल्यात् द्विगुणमूल्यं छात्रात् स्वीकरिष्यते।

26. स्वसामग्रीणां संरक्षणदायित्वं स्वस्य एव भवेत्।

27. प्रकोष्ठे यदि कोऽपि न भवति तर्हि व्यजन- दण्डदीपादीनां पिधानं निश्चप्रचं भवेत् नोचेत् प्रथमवारं सूचना दास्यते, द्वितीयवारं धनसमर्पणयुक्तानुशासनं भविष्यति।

28. छात्रावासविषये किमपि विवरणं बहिः (मीडिया-संवादपत्र-अन्यसंस्था-बाह्यव्यक्ति-आदि कृते) दातुम् इच्छति चेत् अधीक्षकस्य अनुमतिं स्वीकृत्य प्रदातव्यम्।

29. परिसरकार्यक्रमसमये विद्याशाखीयकार्यक्रमे च छात्रस्य उपस्थितिरनिवार्या। अनुपस्थितो भवति चेत् सूचना प्रदातव्या।

30. स्वप्रकोष्ठस्य छात्रावासस्य च स्वच्छता करणीया।

31. अधीक्षकस्य अनुमतिं विना छात्रावासे महोत्सवदिवसानाम् अनुपालनं न भवेत्।

32. अधीक्षकस्य अनुमतिं विना छात्रावासे बाह्यछात्राः न प्रवेशयितव्याः।

33. छात्रावासस्य छात्राः बाह्यछात्रान् आहूय बाह्यराजनैतिक-साम्प्रदायिकगतिविधिषु सम्पृक्ताः न स्युः, येन छात्रावासस्य विश्वविद्यालयस्य वा प्रतिष्ठायाः हानिः भवेत्। नियमस्य उल्लङ्घनं करोति चेत् छात्रावासतः बहिर्भविष्यति।

34. द्वितीय- चतुर्थ- षष्ठ-अष्टमसत्रार्द्धपरीक्षानन्तरं पुनः छात्रावासप्रवेशपर्यन्तं छात्रावासतः बहिर्भवेयुः।

35. परिस्थितिं दृष्ट्वा अधीक्षकः निदेशकैः सह परिचर्चां कृत्वा नूतननियमं स्थापयिष्यति। सर्वैः नूतननियमस्य अनुपालनं करणीयम्।

36. छात्रावासे मद्यपानं, मांसभक्षणं, धूम्रपानादिकं न करिष्यामि। उत्तेजनात्मकं भाषणमपि न दास्यामि। छात्रावासनियमान् अनुपालयामि अनुपालयिष्यामि च। नियमानाम् उल्लङ्घनम् अथवा अस्वीकरणं करोमि चेत् छात्रावासतः बहिष्करणे मम आपत्तिः न भविष्यति।

YSRamesh 25/7

(प्रो.वाई.एस.रमेशः)
निदेशकः